

**राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक प.12(04)नविवि/जियाई(जैसलमेर)/2026

जयपुर, दिनांक:-यथा हस्ताक्षरित

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, जैसलमेर द्वारा राजस्व ग्राम जियाई के खसरा नं. 157 रकबा 15.4115 हैक्टेयर, खसरा संख्या 158 रकबा 9.4005 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 159 रकबा 13.4375 हैक्टेयर कुल रकबा 38.2495 हैक्टेयर भूमि पर रिसोट स्कीम योजना बनाने का विनिश्चय किया है। इस योजना की सीमायें निम्नानुसार है :-

उत्तर:- खसरा नं. 160, 160/259, 159/258, 161 एवं 162

दक्षिण:- खसरा संख्या 140, 141 व 147

पूर्व:- खसरा संख्या 159/258, 81/261 व 81/205

पश्चिम:- खसरा संख्या 148, 156, 163, 215/155, 214/155 व 216/155

उक्त योजना का विवरण एवं नक्शा नगर विकास न्यास, जैसलमेर के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में सांयकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है। इस योजना का अनुमानित क्षेत्रफल 38.2495 हैक्टेयर है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रवि विजय)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, जैसलमेर।
5. आयुक्त, नगर परिषद्, जैसलमेर।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, जैसलमेर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने हेतु।
10. प्रोग्रामर, नविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव-प्रथम

